संख्या– 690/11–6–2018–एम(58)/2017

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ :दिनांकः 03 दिसम्बर, 2018

विषय– प्रदेश में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत निर्माणाधीन अथवा संचालित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों को जी0एस0टी0 लागू (दिनांक 01.07.2017 से) होने के पश्चात् सहायक अनुदान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु अनुदान की सीमा और प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, मनोरंजन कर के पत्र संख्या–2468/प्र0क0–2/2017–18 दिनांक 11.10.2017 तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर के पत्र संख्या–422/प्र0क0–2/2018–19 दिनांक 08.05.2018, पत्र संख्या–671/प्र0क0–2/2018–19 दिनांक 25.06.2018 एवं पत्र संख्या–1950/प्र0क0–2/2018–19 दिनांक 03.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि माल और सेवा कर लागू होने से पूर्व किसी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत संचालित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों हेतु सहायक अनुदान के समायोजन की प्रक्रिया विभिन्न शासनादेशों में निम्नवत् निर्धारित थी :–

"सिनेमा स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की धनराशि को नकद जमा करना आवश्यक न होगा एवं इस संबंध में यह मान लिया जायेगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली–1981 के नियम–24 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के बराबर की धनराशि जमा कर दी है, किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक माह सिनेमा स्वामी उपरोक्त बिल के साथ उस माह के लिये अनुमन्य अनुदान की कुल राशि का विवरण भी संलग्न करेगा, जो जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके उक्त राशि को अनुदान संख्या–90 के लेखाशीर्षक–2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–आयोजनेत्तर–101 संग्रह प्रभार–

...2

Scanned by CamScanner

मनोरंजन कर–03–मनोरंजन कर से संबंधित अधिष्ठान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता'' के नामे डालते हुए उसे प्राप्ति शीर्षक–0045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–101–मनोरंजन कर–01–संग्रहण'' के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित प्रतिहस्ताक्षरित विवरण पत्र बाउचर का कार्य करेगा''।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माल और सेवा कर के लागू होने से पूर्व जितने मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर प्रोत्साहन योजनाओं से आच्छादित थे, उन्हें माल और सेवा कर लागू होने के दिनांक 01.07.2017 से, सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान की शेष अवधि (अर्थात–निर्धारित प्रारूप में, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जारी अनुदान आदेश में उल्लिखित अनुदान अवधि की अन्तिम तिथि) तक अनुमन्य वर्षवार निर्धारित सीमा तक दर्शकों से संग्रहीत एस0जी0एस0टी0 से उपरोक्तानुसार, समायोजन की प्रक्रिया को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसी, राज्य माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार दर्शकों से संग्रहीत एस0जी0एस0टी0 राजकोष में जमा करने के पश्चात इसकी सूचना एवं शासन द्वारा निर्धारित अन्य विवरण/अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उक्त के यथासम्भव एक माह के अन्दर आवंटित बजट से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्शकों से संग्रहीत एस0जी0एस0टी0 की धनराशि के समतुल्य धनराशि सम्बंधित मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघर के लाइसेंसी के खाते में चेक द्वारा अथवा अनुमन्य विधि से अन्तरित कर दी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में, पूर्व माह में एकत्रित एस0जी0एस0टी0, जमा एस0जी0एस0टी0 एवं उपरोक्तानुसार वापस/प्रतिपूर्ति की गयी एस0जी0एस0टी0 की धनराशि की सूचना कमिश्नर, वाणिज्य कर को उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार शासनादेश संख्या–564/11–6– 2017–एम(34)/17 दिनांक 28.07.2017 एवं शासनादेश संख्या–612/11–6–2017–एम(34)/17 दिनांक 09.08.2017 से आच्छादित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों द्वारा जमा की गई एस0जी0एस0टी0 की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी सम्बन्धित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों को की जायेगी।

4. माल और सेवा कर लागू होने के पूर्व से संचालित प्रोत्साहन योजनाओं से आच्छादित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों को सहायक अनुदान (grant-in-aid) के रूप में उन्हें मात्र, उनके द्वारा जमा करायी गयी एस0जी0एस0टी0 की धनराशि सुसंगत शासनादेशों में अनुमन्य वर्षवार प्रतिशत के आधार पर प्रतिपूर्ति किये जाने और उपरोक्त प्रस्तर–3 के अनुसार आवंटित बजट से, मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों द्वारा दर्शकों से संग्रहीत एवं विहित–प्रक्रिया के अनुसार राजकोष में

...3

Scanned by CamScanner

जमा की गयी एस0जी0एस0टी0 की धनराशि की सीमा तक धनराशि सम्बंधित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों के खातों में अन्तरित (वापस) की जायेगी।

तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या – 690 (1)/11–6–18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner